अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत सन्दर्भित वाद संख्या– 435 /2013–14

श्रीमति शांति देवी बनाम राम मुखिया एवं 15 अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

उभय पक्षों के दावे प्रतिदावे पर विद्वान अधिवक्ताओं के तार्किक बहस को सुनने के पश्चात् अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित किया गया, अवलोकन किया।

आवेदिका श्रीमति शांति देवी पति– लालटुन मुखिया ग्राम– सीमा मौजे– धनौली थाना– बहेड़ी जिला– दरभंगा के वाद पत्र दिनांक 25.09.2013 के आलोक में विद्वान अधिवक्ता को सुनते हुए वाद दिनांक 27.09.2013 को सुनवाई हेतु प्रतिग्रहित की गई है। इस वाद में राम मुखिया पिता– स्व0 राजेश्वर मुखिया एवं 15 अन्य सभी ग्राम– सीमा मौजे धनौली थाना– बहेड़ी जिला– दरभंगा विपक्षी पक्षकार हैं। इस वाद में अन्तर्गत आवेदिका की दिनांक 22.06.2013 को रामचन्द्र मुखिया, श्रीमति पवित्री देवी मौजे– धनौली टोले नवलखा से बयनामा द्वारा हासिल मौजे धनौली थाना नं0– 34 अन्तर्गत अद्योलिखित ब्योरे की भूमि है :–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
195 पु0	3027 पु0	05 धुर	उ0– रामचन्द्र मुखिया वगैरह
523 नया	6905 नया		द0– आवेदिका निज
			पू0– कुंजू मुखिया वगैरह
			प0– बैद्यनाथ मुखिया वगैरह

आवेदिका द्वारा अपने वाद पत्र में उल्लेख किया गया कि प्रश्नगत खरीदगी भूमि पर खरीदगी तिथि से इनका शांतिपूर्ण दखल–कब्जा चला आ रहा है जिसे विपक्षीगण जून 2013 के प्रथम सप्ताह में बलपूर्वक grab करने का प्रयास किए तो इन्होनें इसकी शिकायत S.S.P. दरभंगा को किया जिसे थानाध्यक्ष बहेड़ी को भेजा गया, परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः दिनांक 03.09.2013 को विपक्षीयों ने भूमि छोड़ने से इन्कार कर दिया, जबकि विपक्षयों को प्रश्नगत भूमि से कोई सरोकार नहीं रहा है।

08/04/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	आवेदिका ने अपने वाद पत्र को शपथ पत्र एवं साक्ष्य से समर्थित करते हुए अधिनियम द्वारा निर्धारित न्याय शुल्क मो0 एक सौ रूपया फ्रेकिंग मशीन सं0– 3355 से दिनांक 25.09.2013 को जमा कर वाद पत्र प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि प्रश्नगत भूमि पर पुलिस प्रशासन के सहयोग से उन्हें Possession restore कराया जाय। विपक्षीयों का कहना है कि प्रश्नगत खाता नं0– 195 खेसरा नं0– 3027 के कुल रकवा को रामजी मुखिया, पूरन मुखिया एवं ठक्को मुखिया पिता– फिरंगी मुखिया ने बैजनाथ मुखिया, कुन्जू मुखिया, राम मुखिया, भरत मुखिया वो लक्ष्मण मुखिया सभी पिता– जागेश्वर मुखिया को हस्तांतरित कर दिनांक 23.03.1985 को कब्जा दे दिया तथा कुल जरसेमन 451 रूपया जागेश्वर मुखिया के पुत्रों से प्राप्त कर गैर न्यायिक स्टाम्प पर अंगूठे का निशान बनाकर यादास्त सबूत बना दिया तथा दिनांक 29.08.1981 को विपक्षीयों में राम मुखिया, लक्ष्मण मुखिया, भरत मुखिया, बच्ची मुखिया, बैजनाथ मुखिया ने नथु मुखिया पिता– धोकर मुखिया से खाता नं0– 195, खेसरा नं0– 1065, 2944, 2978, 2981, 3030, 3039, 3124, 3194 तथा 3027 की कुल 09 कट्टा 11 धुर बयनामा द्वारा खरीद किया है। विपक्षीयों ने नथु मुखिया द्वारा खरीदगी सभी जमीन पर शांतिपूर्वक काबिज होने तथा दाखिल–खारिज कराकर बिहार सरकार को मालगुजारी देने का दावा करते हुए उल्लेख किया है। आवेदिका ने दिनांक 22.06.2005 को प्रश्नगत भूमि रामचन्द्र मुखिया एवं उनकी बहन पवित्री देवी से एक जालिया व फरेबी केवाला कराकर विपक्षीयों को नाहक तंग वो तबाह कर रही है। विपक्षी सुमित्रा देवी को जब दिनांक 22.06.2002 वाली आवेदिका की केवाला की जानकारी हुई तो माननीय C.J.M. दरभंगा के न्यायालय में धारा– 323, 341, 379, 420, 466 एवं 473 भा0 दं0 वि0 के तहत नालिश सं0– 1468/13 दायर किया जो श्री ए0 कुणाल न्यायिक दण्डाधिकारी, दरभंगा के न्यायायलय में लंबित है। विपक्षीयों का यह भी कहना है कि प्रश्नगत भमि का नया खतियान विपक्षीयों के नाम बना है तथा प्रश्नगत खेसरा खतियान में मकान मय सहन दर्ज है। यह भी कहा गया	

05/04/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	है कि आवेदिका ने दिनांक 21.10.2013 को कमलेश मुखिया, श्रवण मुखिया, रामधार मुखिया से प्रश्नगत खेसरा की भूमि में से 04 धुर जमीन केवाला कराई है जो भी सरासर गलत वो फरेबी है। विपक्षीयों ने आवेदिका के वाद को खारिज करने का अनुरोध किया है। आवेदिका की ओर से अपने दावे के समर्थन में खतियान रैयती खाता नं0– 124 बनाम कुंजू मुखिया वगैरह के नाम, Information, खतियानी रैयती खाता नं0– 523 की छायाप्रति दाखिल किया गया है। विपक्षीयों की ओर से खतियान, Information, एवं तथाकथित यादास्त दाखिल किया गया है। विपक्षीयों द्वारा बयान तहरीरी में वर्णित तथ्य एवं दाखिल कागजातों से प्रश्नगत भूमि के निमित विपक्षीगण अधिकारहीन व्यक्ति होना प्रतीत होते हैं। चूँकि कागजात एवं ब्यान तहरीरी में वर्णित तथ्या आपस में विरोधाभाष है साथ हीं विपक्षीयों ने अपने बयान तहरीरी में वर्णित दिनांक 23.03.1985 एवं 29.05.1981 के दस्तावेज तथा C.R. No.- 1468/13 के संबंध में नालिश की प्रति प्रस्तुत नहीं किया है। विपक्षीयों द्वारा प्रस्तुत विरोधाभाषी बयान से आवेदिका का दावा स्वतः प्रमाणित होता है। विपक्षीयों ने पचीस पैसे के स्टाम्प पर वर्णित तथ्य को यादास्त सबूत कहा है कि 23.03.1985 को रामजी मुखिया वगैरह ने जगेश्वर मुखिया से 451 रू0 प्राप्त कर प्रश्नगत खाता खेसरा की सम्पूर्ण भूमि उनके पुत्रों बैजनाथ मुखिया वगैरह को हस्तांतरित कर दिया। परन्तु उक्त तथाकथित कागजात यादास्त पर तीन छाप किया हुआ है, वह छाप किसका है नहीं लिखा है तथ उक्त कागजात पर दिनांक 28.03.1975 का उल्लेख है जो विपक्षीयों के जाल को स्वतः प्रमाणित करता है। आवेदिका की ओर से दाखिल रैयती खतियान खाता नं0– 523, खेसरा नं0– 6905 पुरन मुखिया वो रामजी मुखिया पिता– फिरंगी मुखिया दो अंश समान वो वजेन्द्र वो पिताम्बर मुखिया पिता– ठक्को मुखिया एक अंश करके दर्ज है जिसका कुल रकवा– 09 धुर मकान मय सहन करके दर्ज है। इस प्रकार पुरन मुखिया एवं रामजी मुखिया 06 धुर के	

25/04/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	हिस्सेदार प्रमाणित होते हैं जिसमें से पूरन मुखिया के पुत्र रामचन्द्र मुखिया एवं पवित्री देवी जो रामजी मुखिया की पुत्री है ने (05 धुर आवेदिका को) प्रश्नगत भूमि आवेदिका को दिनांक 22.06.2013 को बयनामा किया है जो बिल्कुल हिस्सेदारी एवं कब्जे के अनुसार बयनामा हुआ है जिसपर आवेदिका को बहैसियत बयदार के रैयती अधिकार प्राप्त है। साथ हीं प्रश्नगत भूमि पर विपक्षीयों का कृत बिल्कुल गैरकानूनी एवं नाजायज है, अतएव प्रश्नगत भूमि पर आवेदिका पुनः दखल पाने के अधिकारी हैं। अतः बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 की धारा – 4 (घ) के तहत प्रदत शक्तियों के तहत विपक्षीयों को आदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि पर से अपना नाजायज एवं गैरकानूनी कब्जा हटा कर प्रश्नगत भूमि आवेदिका को सौंप दें। अन्यथा प्रश्नगत भूमि पर आवेदिका को पुर्नस्थापित करने की कार्रवाई न्यायालीय प्रक्रियानुसार की जायेगी तथा उक्त क्रम में व्ययगत खर्च विपक्षीयों से ही वसूलनीय होगी। **लेखापित एव शुद्धित** 05/04/14 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।** 05/04/14 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	